पंचदश

बिहार विधान-सभा

षोडश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 10 चैत्र, 1937 (श0) / 31 मार्च, 2015 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1) समाज कल्याण विभाग	01
(2) परिवहन विभाग	01
(3) खान एवं भूतत्व विभाग	01
(4) शिक्षा विभाग	01
कुल योग —	04

पेंशन स्वीकृत करना

''क''-10. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''विकलांग व्यवस्था से 23.55 लाख नि:शक्त बेहाल'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने अभीतक 23.55 लाख नि:शक्तजनों में से मात्र 10.12 लाख को ही प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार ने 8.31 लाख नि:शक्तजनों को ही पेंशन स्वीकृत की है जिससे सरकारी पेंशन लाभ से 15.24 लाख नि:शक्त वंचित हैं, जबकि 54 प्रतिशत नि:शक्त सहायक उपकरण से वंचित हैं ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बचे हुये नि:शक्तजनों को सरकारी पेंशन स्वीकृति एवं सहायक उपकरण देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अवैध कारोबार को रोकना

''ख''-21. श्री अरूण शंकर प्रसाद--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 को प्रकाशित शीर्षक ''सलाना 200 करोड़ का ओवरलोड का धंधा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करें कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मालवाहक वाहन के ओवरलोड परिचालन में वाहनों को पास कराने में सलाना 150-200 करोड़ का अवैध कारोबार किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वाहनों में बालू, गिट्टी, मार्बल इत्यादि अन्य सामान क्षमता से दोगुना ढोया जाता है इसके एवज में विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय स्तर पर हर वाहन से 500-1,000 रुपया तथा बाहरी वाहनों से 20 से 30 हजार मासिक वसूला जाता है जिस कारण सरकार को राजस्व में हानि होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इस अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिये कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है ?

कार्यरत करना

22. डॉ0 अच्युतानन्द--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 जनवरी, 2014 के अंक में छपी खबर ''खोजो तो जानें, कहाँ है खनिज विकास निगम'' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मई, 2002 में बिहार राज्य खनिज विकास निगम का गठन हुआ था जो अभी मृतप्राय है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में महत्वपूर्ण घाटों पर बालू उत्खनन के अलावा डोलोमाइट, लाइम-स्टोन आदि खनिजों के खनन का कार्य खनिज विकास निगम के अधीन कराने का निर्णय 2002 में लिया गया था ;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य खनिज विकास निगम के खाते में 11 वर्षों से 24 करोड़ रुपये निष्क्रिय पड़े है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मृत पड़े खनिज विकास निगम को कार्यरत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नोट--''क''-दिनांक 20 मार्च, 2015 को सदन द्वारा समाज कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

''ख''-वाणिज्य-कर विभाग द्वारा परिवहन विभाग में स्थानांतरित ।

राशि खर्च नहीं करने का औचित्य

23. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी--क्या मंत्री, शिक्षा (प्रा0शि0) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 में शिक्षा विभाग हेतु प्रावधानित रु0 17,977.78 करोड़ में से वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3,707.40 करोड़ खर्च करने के लिये शेष रह गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त वित्तीय वर्ष में विभाग को पूरक अनुदान के जरिये रु0 682.22 करोड़ आवंटित था जिसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक खर्च नहीं किया जा सका ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो मूल प्रावधान का 3707.40 एवं पूरक अनुदान का प्रावधानित राशि 682.22 करोड़ खर्च नहीं करने का क्या औचित्य है ?

हरेराम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

पटना :
दिनांक 31 मार्च, 2015 (ई0)।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 175-डी0टी0पी0-450